

3472

पत्रांक :- 14/कोर्ट-02-05/2017 का0...../

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

अखौरी शशांक सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 23.05.2018

विषय :-

प्रोन्नति के मामले में आरक्षण की सुविधा के संबंध में।

प्रसंग:-


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के
परिपत्र सं0-3414, दिनांक-22.05.2018

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रासंगिक परिपत्र से संबंधित कतिपय बिन्दुओं पर महाधिवक्ता, झारखण्ड से परामर्श प्राप्त करने की अपेक्षा सरकार द्वारा की गयी है।

अतएव विभागीय परिपत्र सं0-3414, दिनांक-22.05.2018 का क्रियान्वयन तत्काल स्थगित रखा जाता है।

विश्वासभाजन,


23.05.18

(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।